



क्रमांक : एफ. 11 (6) रीपा/परीक्षा/विभागीय/IFS/2022/ 3940

दिनांक : 23/05/2022

कार्यालय-आदेश

संस्थान रीपा जयपुर द्वारा दिनांक 06.06.2022 से 10.06.2022 तक भारतीय वन सेवा के अधिकारियों की विभागीय परीक्षा आयोजित की जा रही है। अतः निम्न अधिकारियों को उक्त परीक्षा में बैठने की अनुमति प्रदान की जाती है एवं परीक्षा के रोल नम्बर निम्नानुसार जारी किये जाते हैं :-

रोल नम्बर	परीक्षार्थी का नाम	पता
01	ARUN KUMAR D	House No. 4, DCF Office Campus, Sariska Tiger Reserve, Alwar-301022
02	P. BALAMURUGAN	Office of DCF, Khudi Road, Jaisalmer-345001
03	MARIA SHINE A	Sector-C, Shrinathpuram, Kota, Rajasthan-324010
04	MANAS SINGH	B-4, CCF Compound, Near Degree College, Sawai Madhopur.

परीक्षा कार्यक्रम

दिनांक	समय	प्रश्न पत्र	प्रश्न पत्र विषय
06.06.2022	प्रातः 10:30 से दोपहर 01:30 बजे तक	पहला	Forest Law.
07.06.2022	प्रातः 10:30 से दोपहर 01:30 बजे तक	दूसरा	Land Revenue System.
08.06.2022	प्रातः 10:30 से दोपहर 01:30 बजे तक	तीसरा	Procedure and Accounts.
09.06.2022	प्रातः 10:30 से दोपहर 01:30 बजे तक	चौथा	Hindi.
10.06.2022	प्रातः 10:30 से दोपहर 01:30 बजे तक	पांचवा	Utilisation of Forest Produce with Special Reference to this State.


परीक्षा केन्द्र : Room No. 215 (नेहरू भवन, प्रथम तल), एच.सी.एम. रीपा, जयपुर।

परीक्षार्थियों हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश :-

- (1) प्रत्येक परीक्षार्थी को परीक्षा-कक्ष में परीक्षा प्रारम्भ होने के 15 मिनट पूर्व प्रवेश दिया जायेगा।
- (2) परीक्षा कक्ष में परीक्षार्थी को मोबाईल फोन ले जाने की अनुमति नहीं होगी।
- (3) Bare Act/Manual के अतिरिक्त अन्य कोई अनुचित सामग्री परीक्षा-कक्ष में अनुमत नहीं होगी।
- (4) व्याख्याओं सहित अधिनियमों, मोनोग्राफ एवं नियमावलियों से सम्बन्धित प्रतियाँ परीक्षा कक्ष में ले जाने की अनुमति नहीं होगी।
- (5) परीक्षार्थी द्वारा किसी लिखित, अभिलिखित, प्रतिलिपि या मुद्रित सामग्री से, अप्राधिकृत सहायता लेना या किसी अप्राधिकृत इलेक्ट्रोनिक या यांत्रिक उपकरण या गैजेट का उपयोग वर्जित है तथा दण्डनीय है। परीक्षा कक्ष/परिसर में मोबाईल व बैग वर्जित है।
- (6) परीक्षा कक्ष में धूम्रपान, मद्यपान चाय व पान आदि का प्रयोग अनुमत नहीं है।
- (7) परीक्षा-कक्ष में बैठने के दौरान परीक्षार्थियों के बीच उचित दूरी बनाए रखनी होगी।
- (8) परीक्षार्थी परीक्षा भवन में अपना स्थान ग्रहण करने के साथ ही अपनी जेब, डेस्क, आस पास के स्थान को भली भाँति देख ले कि वहाँ कोई पुस्तक, पर्चा, अथवा अन्य किसी प्रकार की अवांछित सामग्री तो नहीं रखी है। यदि आस पास ऐसी कोई सामग्री है तो वह परीक्षा निरीक्षक को सूचित करें अन्यथा इस संबंध में परीक्षार्थी स्वयं जवाबदेह होगा।
- (9) परीक्षार्थी परीक्षा देते समय किसी प्रकार की कोई सामग्री किसी व्यक्ति/परीक्षार्थी से न लेगा और न देगा, दूसरों के पत्रों की नकल न करेगा और न ही अपने पत्रों की नकल करने देगा। किसी प्रकार की अव्यवस्था, अनाचरण अथवा नकल करने या इनकी कोशिश करने वाले परीक्षार्थी को नियमों के अनुसार दण्डित किया जायेगा।

Contd...

- (10) परीक्षार्थी प्रत्येक विषय की परीक्षा के समय उपस्थिति पत्रक में पूर्ण इन्द्राज कर अपने हस्ताक्षर करें।
- (11) परीक्षा-कक्ष छोड़ने से पूर्व परीक्षार्थी उत्तर पुरितिका परीक्षा निरीक्षक को सम्भला दें, तत्पश्चात परीक्षा निरीक्षक से अनुमति लेकर ही परीक्षा कक्ष छोड़े।
- (12) संस्थान द्वारा नियुक्त परीक्षा अधीक्षक/निरीक्षक द्वारा दिए गए निर्देशों को अनिवार्यतः पालन करना होगा, ऐसा न करने अथवा परीक्षा केन्द्र पर किसी प्रकार का अनुचित व्यवहार करने पर एवं परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग/उपभोग करने पर परीक्षार्थी के विरुद्ध संस्थान जो भी उचित समझे, कार्यवाही कर सकता है तथा परीक्षार्थी के खिलाफ राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 1992 के अन्तर्गत एवं राजस्थान सिविल सेवा (विभागीय परीक्षा) नियम, 1959 के नियम 15 के अनुसार कार्यवाही की जा सकती है।



अतिरिक्त निदेशक (बीमा) एवं
प्रमारी अधिकारी (परीक्षा)

क्रमांक : एफ. 11 (6) रीपा/परीक्षा/विभागीय/IFS/2022/ 3941-49

दिनांक : 23/05/2022

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. मुख्य वन संरक्षक (संस्थापन), कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर को प्रति भेजकर निवेदन है कि कृपया उक्त परीक्षा कार्यक्रम से संबंधित अभ्यर्थियों को अवगत कराने का श्रम करावें।
2. ए.सी.पी. (उप निदेशक) कम्प्यूटर प्रकोष्ठ, एच. सी. एम. रीपा, जयपुर को भेजकर लेख है कि कृपया उक्त कार्यालय आदेश को संस्थान की वेबसाइट पर अपलोड कराने का श्रम करावें।
3. केयर टेकर को प्रति भेजकर लेख है कि उक्त परीक्षा अवधि में परीक्षार्थियों हेतु परीक्षा-कक्ष की साफ-सफाई, बैठने तथा सैनिटाईजेशन की उचित व्यवस्था करावें।
4. अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी (संस्थापन), एच. सी. एम. रीपा, जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त परीक्षा अवधि में परीक्षार्थियों को परीक्षा-कक्ष में पानी पिलाने व अन्य कार्य हेतु चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की उचित व्यवस्था करावें।
5. संबंधित परीक्षार्थीगण (रोल नं. 01-04)
6. रक्षित पत्रावली


अतिरिक्त निदेशक (बीमा) एवं
प्रमारी अधिकारी (परीक्षा)